

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2024 / 40

दिनांक - 23/01/2024

आदेश

प्रार्थी जोगेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत्र निवासी भीराणा तहसील दांतारामगढ़ की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा ने अपने पिता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "दादा रिकार्ड दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट में मज में आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत भीराणा का प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम भीराणा पओहो भीराणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 308 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / पओहो	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	भीराणा	308	मानसिंह पुत्र गणेश सिंह	कानसिंह पुत्र गणेश सिंह

(गोविन्द सिंह भींचर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक :- 23/01/2024

क्रमांक / रीडर / 2024 / 40

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़